mo 522/ प्रा० 09/19

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़
(पीठासीन अधिकारी – **श्री प्रमोदकुमार सिंघव** आर.ए.एस.)

मिसल नं0 822 / दावा / 2017
दायरा 08 / 09 / 2017

उनवान

1. छीतरलाल पुत्र लटूर जाति गुर्जर निवासी खेरखेड़ा तह0 खानपुर
2. रामभरोस पुत्र लटूर जाति गुर्जर निवासी खेरखेड़ा तह0 खानपुर
3. गोबरीलाल पुत्री लटूर जाति गुर्जर निवासी खेरखेडा तह0 खानपुर
4. केसरबाई पत्नि लटूर जाति गुर्जर निवासी खेरखेड़ा तह0 खानपुर

– वादीगण

बनाम्

1. मदन पुत्र रतना जाति गुर्जर निवासी खेरखेड़ा तह0 खानपुर
2. भूमि अवाप्ति अधिकारी परवन सिंचाई परियोजना जल संसाधन विभाग खण्ड झालावाड
3. अधिशाषी अभियन्ता परवन सिंचाई परियोजना जल संसाधन विभाग खण्ड झालावाड़
4. हल्का पटवारी खेरखेड़ा तहसील खानपुर
5. शाखा प्रबन्धक महोदय सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खानपुर
6. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब तहसील खानपुर

– प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 209 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थित:– श्री ओमप्रकाश धनौलिया एडवोकेट –वादी
श्री रमेशकुमार विजय एडवोकेट – प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक 25/09/2019

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। वादी ने जर्ये अधिवक्ता एक वाद धारा 88, 91, 188, 209 आर.टी.एक्ट 1955 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम खेरखेड़ा की जमाबंदी सं0 2034–37 की खाता सं0 80 की ख0नं0 50 की 1.15 बीघा, ख0नं0 51 की 2.06 बीघा, ख0नं0 350 की 0.09 बीघा ख0नं0 509 की 4.00 बीघा कुल 4 किता रकबा 8.10 बीघा रतना, लटूर पिसरान रामनाथ जाति गुर्जर निवासी खेरखेडा के खाते एवं कब्जे काश्त की है। खातेदार रामनाथ के पुत्र रतना व लटूर था। रतना का पुत्र मदन एवं लटूर के पुत्र छीतरलाल, रामभरोस व पुत्रीयां गोबरीबाई, केसरबाई है। रामनाथ की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त आराजी रामनाथ के दोनों पुत्रों रतना व लटूर के खाते दर्ज हुई है। खातेदार रतना की मृत्यु सन् 1977 में हो चुकी है। रतना की मृत्यु के पश्चात पटवारी ने तहकीकात कर इंतकाल नं0 34 तस्दीक किया है। तहसीलदार खानपुर ने जमाबंदी सं0 3038–41 बनाते समय खातेदार लटूर का नाम खाते से खारिज कर दिया जबकि वादीगण के पिता लटूर का नाम बिना किसी कारण के जमाबंदी से हटा दिया जो अवैद्य व शून्य है। वादग्रस्त आराजी में वादीगण के पिता लटूर का 1/2 हिस्सा है। इसलिये वादीगण को वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित किया जाना चाहिये। वादग्रस्त आराजी को राज्य सरकार अवाप्त कर रही है तथा प्रति0 2, 3, 4 मुआवजा राशि के चैक खातेदारों को अदा करेंगे, ऐसे में वादीगण मुआवजा राशि से वंचित रह जायेंगे। ऐसे में इन प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से

No 522/मा0क्यू/19

ऐसा करने से रोका जाना आवश्यक है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से का खातेदार दर्ज करवाने की कहने एवं प्रतिवादीगण के इंकार हो जाने से 04.092017 को वाद कारण उत्पन्न हुआ है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वाद, वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री फरमाया जावे कि ग्राम खेरखेड़ा की जमाबंदी सं0 2034–37 की खाता सं0 80 की 4 किता रकबा 8.10 बीघा आराजी में वादीगण को प्रतिवादी के साथ–साथ कुल आराजी में 1/2 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषत किया जावे। साथ ही प्रति0नं0 2, 3, 4 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह मुआवजा राशि का चैक अदा नहीं करें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रति0 2 लगा0 6 के बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। प्रति0नं0 1 की ओर से श्री रमेशकुमार विजय एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश कर जवाब का अवसर चाहा गया। दिनांक 17.06.2019 को पक्षकारान ने अपने–अपने अधिवक्ताओं के साथ उपस्थित होकर इस प्रकार राजीनामा पेश किया है **"उक्त उनवान के प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा कर लिया है, राजीनामा निम्न प्रकार है। यह कि आराजी ख0नं0 50 रकबा 1.15 बीघा, ख0नं0 51 रकबा 2.06 बीघा, ख0नं0 350 रकबा 0.09 बीघा ख0नं0 509 रकबा 4.00 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 8.10 बीघा वाके ग्राम खेरखेड़ा तहसील खानपुर में से वादीगण को आराजी ख0नं0 51 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा का खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे। प्रतिवादी नं0 1 को आराजी ख0नं0 50 रकबा 1.15 बीघा, ख0नं0 350 रकबा 0.09 बीघा ख0नं0 509 रकबा 4.00 बीघा का खातेदार टीनेंट रखा जावे। राजीनामा हम पक्षकारान की सहमति से किया, राजीनामा से हम पक्षकार संतुष्ट है, राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा।"** राजीनामा पक्षकारान को पढ़कर सुनाया गया, जिसे सही एवं सत्य होना तथा राजीखुशी से आलेखित कराना स्वीकार करने पर तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अद्योपांत अध्ययन किया एवं विद्धान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। वादी ने ग्राम खेरखेड़ा की वादग्रस्त आराजी 4 किता रकबा 8.10 बीघा में 1/2 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित किये जाने का यह वाद पेश किया है। पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर दिनांक 17.06.2019 को ग्राम खेरखेड़ा की ख0नं0 51 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा का वादीगण एवं ख0नं0 50 रकबा 1.15 बीघा, ख0नं0 350 रकबा 0.09 बीघा ख0नं0 509 रकबा 4.00 बीघा का प्रतिवादी नं0 1 को खातेदार टीनेंट घोषित किये जाने हेतु राजीनामा पेश किया है, जो विधि अनुसार होने से तस्दीक होकर शामिल पत्रावली हैं। ऐसे में हम इस वाद का निर्णय प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः वाद, वादी राजीनामा के अनुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम खेरखेड़ा की ख0नं0 51 रकबा 2.06 बीघा आराजी का वादीगण 1 लगा0 4 को बांट बखरा से खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है। इसी प्रकार ग्राम खेरखेड़ा की ख0नं0 50 रकबा 1.15 बीघा, ख0नं0 350 रकबा 0.09 बीघा ख0नं0 509 रकबा 4.00 बीघा आराजी का प्रति0नं0 1 को खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो। प्रस्तुत राजीनामा निर्णय का अंग रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। आराजी पर रहन का अंकन पूर्वानुसार प्रति0नं0 1 के हिस्से पर यथावत रहेगा। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 25/09/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।